# कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

झारखण्ड सरकार

वन भवन, चतरा– 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 222303 E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com


पत्रांक दिनांक

**सेवा में,**

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
चतरा।

**विषयः–** मेसर्स सी0सी0एल0 के पुरनाडीह परियोजना हेतु 323.49 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग का पत्र संख्या वनभूमि 27/2016 5066 दिनांक 04.11.2016 द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर चार बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। प्रयोक्ता अभिकरण ने उक्त पृच्छा के आलोक में अपने पत्रांक HoD/EN2018/147 दिनांक 11.05.2018 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन नौ प्रतियों में इस कार्यालय में समर्पित किया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>शर्त्त</th><th>अनुपालन</th></tr>
<tr><td>1</td><td>प्रस्तावित जंगल–झाड़ी भूमि के संबंध में सक्षम स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</td><td>उपायुक्त, चतरा द्वारा पूर्व मे निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में मौजा कुटकी के कुछ प्लॉट जो परती कदीम भूमि का था उसे भी जंगल झाड़ी भूमि में शामिल कर लिया गया था (प्रति संलग्न है)। मौजावार विवरणी में मौजा कुटकी में परती कदीम भूमि को हाईलाईट किया गया है (अनु0–1), जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th>प्लॉट संख्या</th><th>रकबा (एकड़ में)</th></tr>
<tr><td>417</td><td>1.21</td></tr>
<tr><td>458(पी0)</td><td>0.04</td></tr>
<tr><td>462</td><td>0.09</td></tr>
<tr><td>465</td><td>0.10</td></tr>
<tr><td>467</td><td>0.08</td></tr>
<tr><td>470</td><td>0.04</td></tr>
<tr><td>476(पी0)</td><td>0.03</td></tr>
<tr><td>519</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td>523</td><td>1.94</td></tr>
<tr><td>533</td><td>0.03</td></tr>
<tr><td>537</td><td>0.03</td></tr>
<tr><td>547</td><td>0.08</td></tr>
<tr><td>549</td><td>0.06</td></tr>
<tr><td>563</td><td>0.11</td></tr>
<tr><td>564</td><td>0.10</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>4.19</td></tr>
</table>
कुल 4.19 एकड़ भूमि जो परती कदीम का था उसके स्थान पर मौजा कुटकी में कुल 4.19 एकड़ का संशोधित जंगल–झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपायुक्त, चतरा द्वारा वर्तमान में निर्गत किया गया पत्र संलग्न है (अनु0– II)।<br>
शेष 372.88 एकड़ जंगल–झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपायुक्त, चतरा द्वारा वर्तमान में निर्गत किया गया पत्र संलग्न है (अनु0– IIA)।<br>
372.88 एकड़ एवं 4.19 एकड़ दोनों मिलाकर कुल 377.07 एकड़ अर्थात् 152.66 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत किया गया है। (अनु0–II एवं IIA)</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 2 | प्रस्तावित जंगल–झाड़ी भूमि 152.60 हे0 के संदर्भ में संबंधित उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विहित संबंधित प्रमाण–पत्र (इस क्रम में हुई बैठक की कार्यवाही के साथ)। | प्रस्तावित जंगल–झाड़ी भूमि 152.60 हे0 में से मात्र 39.69 हे0 का वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित New Format के फार्म 2 में उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न है (ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही की प्रति के साथ) (अनुलग्नक – III)<br>प्रस्तावित 152.60 हे0 में से 39.69 हे0 को घटाने पर शेष 112.91 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि का वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण–पत्र उपायुक्त चतरा द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शेष कुल 112.91 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि का दंडात्मक क्षतिपूरक वनरोपण देने हेतु वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक – IV) |
| 3 | प्रश्नगत परियोजना के पूर्ण लीज क्षेत्र में अवस्थित सभी गैर वन भूमि का सक्षम राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भूमि विवरणी (Land Schedule) | पूर्ण लीज क्षेत्र में 509.45 हे0 गैर वन भूमि एवं 323. 49 हे0 वनभूमि प्रस्तावित है। इस प्रकार पूरे लीज हेतु कुल 832.94 हे0 भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित है जबकि भारत सरकार के पत्र संख्या FP/JH/MIN/13371/2015 Dated 22.06.2015 द्वारा 751.74 हे0 पर ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है जिस कारण संशोधित 832.94 हे0 का भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को इस कार्यालय के पत्रांक 1245 दिनांक 08.04.2017 द्वारा सूचना दी गई थी एवं अंतिम स्मार इस कार्यालय के पत्रांक 1081 दिनांक 30.03.2018 द्वारा दी गई है जिसकी प्रति प्रेषित की गई है।<br>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राजस्व पदाधिकारी से हस्ताक्षरित 428.25 हे0 गैर वन भूमि का भूमि विवरणी संलग्न की गई है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि इस परियोजना में 428.25 हे0 गैर वनभूमि एवं 323.49 हे0 वनभूमि कुल रकबा 751.74 हे0 ही पूरे लीज क्षेत्र हेतु अधिग्रहित है इसलिए इसमें अब संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्कता नही है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूरे लीज क्षेत्र हेतु 832.94 हे0 के स्थान पर 751.94 हे0 ही भूमि अधिगृहित है जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है। संबंधित पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक – V)<br>अतः On-line प्रस्ताव में 509.45 हे0 गैर वनभूमि उल्लेखित है इसके स्थान पर 428.25 हे0 गैर वनभूमि को On-line प्रस्ताव में उल्लेखित करना होगा।<br>गैर वनभूमि की सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षरित भूमि विवरणी की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक – VI)<br>इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पार्ट–1 के फॉर्म A में प्रस्तावित गैर वन भूमि 509.45 हे0 के स्थान पर 428.25 हे0 मानने हेतु उनके पत्रांक CCL/DGM-HoD(E&F) /2018 /2065 दिनांक 14.03.18 पत्र संलग्न है, जिसमें पार्ट–1 की प्रति, स्वीकृत माईनिंग प्लान की प्रति एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रपत्र में Cost Benifit Analysis की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक – VII) |
| 4 | एन0पी0भी0 जमा करने संबंधी बचनबद्धता | एन0पी0भी0, सी0ए0, पी0सी0ए0, सेफ्टी जोन एवं अन्य मद आदि हेतु माँगी गई राशि जमा करने से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।<br>(अनुलग्नक – VIII) |

सी0सी0एल0 के सभी प्रस्तावों एवं अनुपालन प्रतिवेदनो पर हस्ताक्षर करने हेतु पूर्व के प्राधिकृत पदाधिकारी के स्थान पर श्री सौमित्रा सिंह, उपमहाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष, पर्यावरण एवं वन विभाग, सी0सी0एल0 दरभंगा हाउस, राँची को प्राधिकृत किया गया है। इस संबंध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक – IX)

**इसके अतिरिक्त** (I) संशोधित Geo- Referenced Boundry Map संलग्न है, परन्तु सेफ फाइल संलग्न नही है। (अनुलग्नक – X)

(II) संशोधित Land use Plan 1:4000 स्केल में संलग्न है। (अनुलग्नक – XI)

(III) मौजा कुटकी के नक्शा पर वनभूमि एवं जंगल–झाड़ी भूमि को अलग–अलग दर्शाते हुए संशोधित नक्शा संलग्न है। (अनुलग्नक – XII)

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की 8 (आठ) प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

**अनु0–यथोक्त।**

आपका विश्वासी

ह0/–

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

ज्ञापांक 1704 दिनांक 28.05.18

प्रतिलिपि :– श्री सौमित्रा सिंह, उपमहाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष, पर्यावरण एवं वन विभाग, सी0सी0एल0, दरभंगा हाउस, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि Geo-reference का Shape file की 9 प्रति शीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय ताकि उच्च पदाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जा सके।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।